

**मिशन मोड पर ग्रामीण भारत में शेष आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में स्वच्छ  
पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश**

**क. प्रस्तावना :**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के साथ भारत के लगभग 76 प्रतिशत ग्रामीण बसावटों ने पूर्ण रूप से कवर (एफसी) की गई स्थिति प्राप्त कर ली है परंतु यह कवरेज मुख्यतः हैंडपंपों के माध्यम से की गई है और यह स्थायी तथा उत्तम गुणवत्ता सेवा तंत्र नहीं है। 71,000 से अधिक बसावटें जल गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त हैं और 170 मिलियन से अधिक ग्रामीण बसावटों में से केवल 52 प्रतिशत के पास नल जल उपलब्ध है। प्रमुख फिजियो-रासायनिक संदूषणों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, लवणता तथा नाइट्रेट शामिल हैं जिनमें से आर्सेनिक और फ्लोराइड अति क्रिटिकल हैं क्योंकि ये अन्यों की तुलना में तत्काल स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करते हैं। आर्सेनिक तथा फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों की राज्य-वार सूची निम्नलिखित है :-

तालिका 1: दिनांक 11 अगस्त, 2016 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय के आईएमआईएस में फ्लोराइड तथा आर्सेनिक संदूषण प्रभावित राज्य।

राज्य	जल गुणवत्ता प्रभावित कुल बसावटें	आर्सेनिक (>0.05 मी.ग्राम/लीटर)	फ्लोराइड (>1.5 मी.ग्राम/लीटर)
राजस्थान	20895	0	6855
पश्चिम बंगाल	10004	962	1053
असम	8840	284	155
झारखंड	6834	119	998
बिहार	5574	102	1087
पंजाब	3770	206	285
ओडिशा	2799	0	70
कर्नाटक	2117	4	1054
तेलंगाना	1484	0	1041
छत्तीसगढ़	1148	0	75
केरल	656	0	73
आंध्र प्रदेश	571	0	491
महाराष्ट्र	394	0	100

उत्तर प्रदेश	361	57	200
हरियाणा	209	0	200
मध्य प्रदेश	193	0	148
गुजरात	17	0	11

\* नोट : हाल ही में बीआईएस ने जून, 2015 में जारी किए गए एक संशोधन के माध्यम से पेयजल में आर्सेनिक की अनुमत सीमा को 0.05 मी.ग्राम/लीटर से घटाकर 0.01 मी.ग्राम/लीटर कर दिया है। अतः अपेक्षित है कि 0.01 मी.ग्राम/लीटर से अधिक आर्सेनिक स्तर के साथ लगभग 10,000 ग्रामीण प्रभावित बसावटें हैं।

आर्सेनिक एक कैंसरकारक तत्व है और जो त्वचा, फेफड़ों, पित्त की थैली, गुर्दे और लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है। चर्म रोग संबंधी, विकास संबंधी, तंत्रिका संबंधी, श्वास-प्रश्वास संबंधी, हृदवाहिनी, प्रतिरक्षा संबंधी तथा अंतः स्रावी संबंधी प्रभाव भी सामने आए हैं।

फ्लोरोसिस, एक जन स्वास्थ्य समस्या है जो लंबी अवधि तक पेयजल/खाद्य पदार्थों/औद्योगिक प्रदूषकों के जरिए अत्यधिक फ्लोराइड का सेवन करने से भी हो सकती है। इससे बुढ़ापे के अलावा गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी होती है जैसे दंत्य फ्लोरोसिस, कंकालीय फ्लोरोसिस और गैर-कंकालीय फ्लोरोसिस।

चूँकि ये हानिकारक प्रभाव स्थायी तथा स्थिर प्रकृति के होते हैं, इसीलिए व्यक्ति तथा समुदाय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं परिणामस्वरूप देश की वृद्धि, विकास, अर्थ-व्यवस्था तथा मानव संसाधन विकास प्रभावित होता है।

सुदूर कवरेज के मुद्दे को हल करने के लिए तथा सभी बसावटों से आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या को दूर करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने आर्सेनिक तथा फ्लोराइड पर फोकस करते हुए एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2020 तक जल गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति भारत को एक कदम आगे बढ़ाना है।

#### ख. पेयजल गुणवत्ता मानकों की परिभाषा :

भारतीय मानक ब्यूरो ने पेयजल के लिए अपने आईएस-10500-2012 मानकों में विनिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, ये मानक केवल स्वैच्छिक प्रवृत्ति के हैं और प्रवर्तन के लिए विधिक रूप से समर्थित नहीं हैं। इन मानकों की दो सीमाएं हैं :-

- वांछनीय सीमाएं
- अधिकतम अनुमत अथवा अस्वीकृति सीमा के कारण।

यदि कोई पैरामीटर अस्वीकृति सीमा के कारण से अधिक हो जाता है तो जल को संदूषित समझा जा सकता है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जल संदूषित तभी हो सकता है

यदि वह जैविक रूप से संदूषित हो (सूक्ष्म जीवों जैसे शैवाल, प्राणिप्लवक, फ्लैजिलेट्स, ई-कोली आदि की उपस्थिति) अथवा रासायनिक संदूषण अनुमत सीमाओं से अधिक हो (जैसे अत्यधिक फ्लोराइड [ $>1.5$  मी.ग्राम/लीटर], लवणता अर्थात् कुल विघटित ठोस पदार्थ (टीडीएस) [ $>2,000$  मी.ग्राम/लीटर], विघटित लौह [ $>0.3$  मी.ग्राम/लीटर], आर्सेनिक [ $>0.01$  मी.ग्राम/लीटर], नाइट्रेट [ $>45$  मी.ग्राम/लीटर] आदि)

ग्रामीण क्षेत्रों में 85 प्रतिशत से अधिक पेयजल के स्रोत भू-जल आधारित हैं और अल्प-अवधि में भूजल में रासायनिक तत्व अधिक नहीं बदलते हैं अतः वर्ष में एक बार रासायनिक तत्वों का परीक्षण पर्याप्त है। प्रत्येक मौसम में एक बार अर्थात् वर्ष में 4 बार जैविक संदूषणों का परीक्षण अनुशंसित है। तथापि, प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अर्थात् मॉनसून पूर्व तथा मॉनसून पश्चात मौसम में इसे करना चाहिए।

#### **ग. पेयजल गुणवत्ता की समस्याओं को हल करने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वर्तमान वित्तपोषण :**

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता समस्याओं को हल करने के लिए और जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज के लिए राज्यों को आबंटित निधियों का 67 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जापानी एनसेफेलाइटिस/ऊग्र एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एई) प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 5 प्रतिशत भी चिन्हित तथा आबंटित है। इसके अतिरिक्त, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी हेतु भारत सरकार, राज्यों को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के आधार पर 3 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियाँ भी उपलब्ध कराती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिला/उप जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं का नए ढंग से उन्नयन करने संबंधी स्थापना कार्य, प्रयोगशालाओं में रसायन तथा उपभोज्य सामग्री उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायतों को क्षेत्र जांच किट/रिफिल उपलब्ध कराना आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को आबंटित एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 10 प्रतिशत तक भू-जल के कृत्रिम पुनर्भंडारण अथवा अन्य तरीकों से पेयजल स्रोतों के स्थायित्व के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एकवीफायर में संदूषण के स्तर को पानी मिलाकर कम करना शामिल है।

#### **घ. पेयजल संदूषण को हल करने के लिए अब तक उठाए गए कदम/अल्प-कालिक उपाय**

1. मंत्रालय ने निधियों की उपलब्धता की स्थिति में, दीर्घ-कालीन स्थायी उपाय के रूप में वर्ष 2022 तक सतही जल आधारित नल जलापूर्ति सकीमों को प्राथमिकता देते हुए देश की 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यनीति योजना बनाई है।

2. मंत्रालय ने सभी राज्यों को प्रोत्साहन दिया है कि वे दीर्घ-कालीन उपाय के रूप में सभी जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमें संस्थापित करें।
3. सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे मार्च, 2017 तक सूचित आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करें क्योंकि यह नल जलापूर्ति स्कीमों की संस्थापना की तुलना में जल्दी संभव है।
4. मात्र पीने तथा खाना पकाने के लिए 8-10 एलपीसीडी (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए यह अल्पकालिक तत्कालीन उपाय के रूप में किया जा रहा है।
5. चूँकि वर्ष 2015-16 के दौरान मंत्रालय का आबंटन पर गया था, अतः नीति आयोग ने इस कार्य हेतु एक बार की केंद्रीय सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में जो पेयजल में फ्लोराइड तथा आर्सेनिक संदूषण से क्रमशः सबसे अधिक प्रभावित हैं, में लास्ट माइल कनेक्टिविटी हेतु नल जलापूर्ति स्कीमों के लिए निधियां शामिल हैं।

#### **ड. राष्ट्रीय उप मिशन क्यों**

प्रस्तावित कार्यक्रम राष्ट्रीय उप-मिशन के लिए गारंटी देता है कि मार्च, 2020 से पूर्व मिशन मोड में इसे पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि :

1. मामला महत्वपूर्ण और तात्कालिक है।
2. प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता ।
3. इनके लिए अतिरिक्त निधियों, इनकी मजबूत मॉनीटरिंग तथा निगरानी की आवश्यकता।
4. लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष तकनीक, जन-शक्ति तथा कार्यनीति की आवश्यकता।

#### **च. लक्ष्य :**

स्थायी तथा स्थिर उपाय के रूप में सभी आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को सुरक्षित तथा बारहमासी सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमों से कवर करना।

**(क) उप-मिशन में तीन चरण होंगे नामतः:**

1. लाक्षणिक चरण-अद्यतन और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर कार्य योजना का सही रूप से निर्धारण करना।
2. कार्यान्वयन चरण-दिशा-निर्देशों के आधार पर क्षेत्र विशिष्ट स्कीमों को चलाना।
3. स्थायी चरण-पर्याप्त मॉनीटरिंग तथा निगरानी सहित यह सुनिश्चित करना कि स्कीमों में सफलतापूर्वक चल रही हों।

**छ. परियोजना को चलाने के कदम:**

1. सभी राज्य द्वारा अधिकतम दो पृष्ठों वाला एक एक्शन प्लान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को 10 अक्टूबर, 2016 तक भेजा जाएगा। इस एक्शन प्लान में राज्य को आर्सेनिक/फ्लोराइड मुक्त बनाना सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा, प्रस्तावित स्कीमों और तदनुसंग ग्राम कवरेज, स्कीमवार निधियन आवश्यकताओं, निधियन के संभावित स्रोतों और अगले चार वर्षों में पूरा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख होगा।
2. **बसावटों की पहचान करना:** राज्यों को आर्सेनिक और फ्लोराइड द्वारा संदूषित जल से प्रभावित बसावटों की पहचान करनी होगी। इन बसावटों को भविष्य के सभी उपयोगों के लिए जीयो टैग किया जाएगा। जीयो-टैग स्थल वास्तविक मॉनीटरिंग के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सुलभ होगा।

**प्राथमिकताएं निम्नलिखित हो सकती हैं :-**

- (क) बसावटें जो केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य मौजूदा दीर्घकालीन कार्यक्रम में कवर न हों।
  - (ख) बसावटें, जिनमें आईएमआईएस आंकड़ों के अनुसार संदूषण की उच्च डिग्री हो।
3. **स्रोत की पहचान :** राज्य को निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर स्रोत की पहचान, जीयो-टैग और चयन करना है।
- स्रोत/ एक्वीफर संदूषक मुक्त होना चाहिए।
  - स्रोत बारहमासी स्वरूप का हो।
  - स्रोत आर्थिक रूप से सर्वाधिक व्यवहार्य (न्यूनतम जीवन चक्र लागत) विकल्प होना चाहिए जिसमें स्वच्छ पेयजल प्रदान करने की असीम क्षमता हो।

4. **स्रोत की गुणवत्ता जांच:** राज्यों को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और व्यापक रूप से वितरित समरूप पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल का पालन करना होता है।
5. **स्कीमों की तैयारी:** बसावट और स्रोत की पहचान के आधार पर राज्यों को एक प्रस्ताव तैयार करना होता है।

➤ **अनिवार्य आवश्यकताएं:**

1. अंतिम उपयोगकर्ता को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की प्रति व्यक्ति लागत।
2. प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत।
3. संबंधित स्थानीय सरकारी निकायों/ संस्थाओं के साथ समन्वय करके एन-रूट गांवों, शहरों और नगरों का प्रावधान, लेकिन प्राथमिकता, आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को दी जानी चाहिए।
4. विस्तृत चरणवार और समयबद्ध योजना।
5. राज्य को आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के लिए केन्द्रिय शेयर जारी करने के अनुरूप राज्य का शेयर और एन-रूट बसावटों के अनुरूप संपूर्ण शेयर, मुहैया कराने में दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध रहना चाहिए।
6. भूस्तरीय सेवा जलाशय (जीएलएसआर)/ ओवरहेड टैंक्स (ओएचटी/ ईएसआर) स्रोत से दूर नहीं होने चाहिए ताकि मेन्स को कम-से-कम ऊँचा करना पड़े।
7. भूस्तरीय सेवा जलाशय (जीएलएसआर)/ ओवरहेड टैंक्स (ओएचटी/ ईएसआर) को ऐसे स्थान पर रखा जाए ताकि गुरुत्वाकर्षण द्वारा अधिकतम बसावटों को पर्याप्त जल वितरण मिल सके।
8. इन स्कीमों में जल शोधन संयंत्रों में फिल्टर बेड वाशड वॉटर के पुनःचक्रण/ पुनः उपयोग होना चाहिए।
9. 20 करोड़ से अधिक पूंजीकरण वाली सभी मेगा स्कीमों में पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं आंकड़े संग्रहण (एससीओडीए) प्रणाली आवश्यक रूप से होनी चाहिए ताकि जल की क्षति और गैर-राजस्व जल की क्षति को न्यूनतम किया जा सके।
10. सभी स्कीमों में ऑनलाइन बूस्टर क्लोरीनेशन प्लांट्स सहित क्लोरीनेशन प्लांट्स की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए ताकि अंतिम उपयोगकर्ता को शुद्ध और सुरक्षित जल प्राप्त हो सके।
11. सभी मेगा जल आपूर्ति स्कीमों में तीन चरण वाली विद्युत आपूर्ति होगी।
12. सभी जल शुद्धिकरण संयंत्रों में आवश्यक रूप से एक पर्याप्त जनशक्ति वाली जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला होगी।

13. यह निर्णय राज्य सरकार लेगी कि जल आपूर्ति सुपुर्दगी का सेवा स्तर क्या हो, तथापि किसी भी स्थिति में यह वर्तमान आबादी के आधार पर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम नहीं होगा।
14. सभी मेगा स्कीमें, कार्य आबंटन की तारीख से 24 महीने की अवधि के अंदर पूरी कर ली जाएंगी।
15. स्कीमों में ग्राम पंचायत/बसावट के प्रवेश बिन्दु से पहले बल्क वॉटर मीटर की व्यवस्था होगी।

➤ **एडवाइजरी:**

16. प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत को न्यूनतम करने और बिजली बचाने के लिए जहाँ भी आवश्यकता हो सौर ऊर्जा/ सोलर पैनल/ सौर रोशनी जैसे पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
17. स्कीम में पर्याप्त संख्या में फ्लो मीटर लगाने की सलाह दी जाती है।
18. यह उचित है कि ऐसी स्कीम तैयार की जाए ताकि इसमें न्यूनतम ऊर्जा खपत हो।
19. सलाह दी जाती है कि भविष्य में आवश्यक विस्तार का प्रावधान हो।
20. सलाह दी जाती है कि यदि पहले से मौजूद न हो, तो एक उपयुक्त वॉटर टेरिफ प्लान लाया जाए।

**ज. शीर्ष समिति:**

राज्यों को राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय को भेजनी होती है ताकि इसे शीर्ष समिति से अनुमोदित कराया जा सके।

शीर्ष समिति सदस्य का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	समिति	
1.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय।	अध्यक्ष
2.	वित्तीय सलाहकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	सदस्य
4.	नीति आयोग सेवा प्रतिनिधि	सदस्य
5.	व्यय विभाग से प्रतिनिधि	सदस्य
6.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन से प्रतिनिधि	सदस्य
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
8.	निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	सदस्य

9.	उप सलाहकार (डब्ल्यूक्यू), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	सदस्य
----	---	-------

### झ. अनुवीक्षण एवं निगरानी:

#### राज्यों में संस्थागत व्यवस्था

मिशन मोड में कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए प्रत्येक राज्य चीफ इंजीनियर स्तर पर एक 'राज्य उप मिशन समन्वयक' नियुक्त करेगा जो निम्नलिखित के लिए जवाबदेह होगा :

- राज्य स्तरीय कार्यक्रम की योजना, तैयारी और निधि प्रबंधन।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम का यथासमय कार्यान्वयन।
- निरंतर मॉनीटरिंग, निगरानी, यथासमय डाटा संग्रहण, ऑनलाइन प्रणाली पर अद्यतनीकरण और विश्लेषण सुनिश्चित करना ।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम की तकनीकी, वित्तीय और समग्र निरंतरता सुनिश्चित करना।

#### केंद्रीय स्तर पर संस्थागत व्यवस्था

केंद्र में मिशन मोड में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय 'राष्ट्रीय उप मिशन समन्वयक' के रूप में 'उप सलाहकार- जल-गुणवत्ता' नियुक्त करेगा जो निम्नलिखित के लिए जवाबदेह होगा।

- राज्यों के साथ यथासमय समन्वयन ।
  - कार्यक्रम का यथासमय कार्यान्वयन।
  - केन्द्रीय स्तर पर कार्यक्रम की निरन्तर मॉनीटरिंग, निगरानी, आकंड़ा एकत्रण तथा विश्लेषण।
  - राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का तकनीकी, वित्तीय तथा समग्र स्थायित्व सुनिश्चित करना।
1. राज्यों को वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के बारे में एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर नियमित रूप से रिपोर्ट भेजनी होती है।
  2. राज्यों को स्रोत बिन्दु और सुपुर्दगी बिन्दु के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) कोऑर्डिनेट्स इस मंत्रालय की आईएमआईएस पर रिपोर्ट करनी होती है।
  3. राज्यों को एमआरडब्ल्यूएस मोबाइल ऐप पर नियमित रूप से फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है।

4. इस कार्यक्रम की जिला स्तर पर मॉनीटरिंग संसद सदस्य (एम.पी) की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल में गठित जिला विकास समन्वय एवं मॉनीटरिंग समिति (दिशा) द्वारा की जाएगी।
5. सभी स्कीमों को माइल स्टोन संबद्ध निधियन प्राप्त होगा।
6. सभी स्कीमों में जीयोटेगिंग सुविधा होगी।
7. सभी स्कीमों की मॉनटरिंग या तो भवन आधारित उपग्रह द्वारा अथवा ड्रोन आधारित उपग्रह द्वारा की जाती है।

**अ. कार्यान्वयन की कार्य प्रणाली:**

➤ **प्रोसेस फ्लो:**

1. उपमिशन के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन अर्थात् वर्कफ्लो आधारित एप्लिकेशन विकसित किया जाएगा जो सभी उपमिशन संबद्ध डाटा के लिए एक कोष के रूप में काम करेगा।
2. सभी स्कीम संबंधित प्रोसेस को इस पोर्टल के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जिम्मेदारी वास्तविक मॉनीटरिंग और वर्धित दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
3. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा एक मानक एवं उपयोगकर्ता अनुकूल परियोजना सूचना प्रोमोट (पीआईएफ) तैयार किया जाएगा जो सभी राज्यों के लिए समान (कॉमन) होगा। इस पीआईएफ का उपयोग सभी नई स्कीमों को आरंभ करने के लिए किया जाएगा और यह डीपीआर के लिए एक फीडर के रूप में उपयोगी होगा। पीआईएफ में अपेक्षित आवश्यकताओं के विषय में सूचना होगी (ऊपर सूचीबद्ध)।
4. इस पोर्टल में मौजूदा स्कीमों को उपमिशन में समेकित करने की सुविधा होगी।
5. उपमिशन के दिशा-निर्देशों और अनुमोदन ढांचे के अनुसार, स्कीम से जुड़ी सभी सूचनाएं समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। सभी अनुमोदन, अस्वीकृतियां, स्वीकृतियां ऑनलाइन होंगी जिसमें स्टैकहोल्डरों के लिए पूर्व-निर्धारित टर्न अराउन्ड टाइम का भी उल्लेख होगा। स्टैकहोल्डर किसी भी समय पीआईएफ की रियल टाइम स्थिति और स्कीमों के अनुमोदन को देख सकते हैं।
6. डीपीआर, जो किसी भी स्कीम के महत्वपूर्ण भाग हैं उनकी कार्यांतर आवश्यकता होगी और केवल उन पीआईएफ स्कीमों के लिए आवश्यक होंगे जिन्हें सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो चुके हैं।
7. गति एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्कीम का कार्यान्वयन और जमीनी कार्य समानांतर रूप से आरंभ हो सकते हैं।

➤ **प्रोजेक्ट प्लानिंग:**

8. तकनीकी एवं आर्थिक रूप से सर्वाधिक व्यवहार्य और लागत प्रभावी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए राज्य सरकार का इंजीनियर-इन-चीफ/ चीफ इंजीनियर ही उत्तरदायी होगा।
9. डीपीआर तैयार करते समय इंजीनियर इन चीफ/चीफ इंजीनियर यह सुनिश्चित करेगा कि जमीन स्तरीय इंजीनियर जिला प्रशासन और जिला पंचायत की सहायता से सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) का सिद्धांततः अनुमोदन प्राप्त हो ताकि स्कीम स्वीकृत हो सके और परिसंपत्तियों को अधिकार-क्षेत्र में किया जा सके।
10. वार्षिक एक्शन प्लान में अनुमोदित प्रस्ताव को राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) में अंतिम अनुमोदन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
11. डीपीआर तैयार करने के बाद इसे राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) के समक्ष रखने से पहले राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा इसका तकनीकी पुनरीक्षण किया जाएगा।
12. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का एरिया ऑफिसर डीपीआर की तकनीकी जांच के लिए उत्तरदायी होगा तथा किसी निर्णय के लिए राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) को सूचित करेगा।
13. राज्यों को राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय को भेजना होता है ताकि इसे शीर्ष समिति से अनुमोदन लिया जा सके।
14. चूंकि समग्र कार्यान्वयन मिशन मोड पर है, परियोजना की डिजाइन एवं कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा एक समर्पित परियोजना निदेशक (जिसका रैंक अधीक्षण अभियंता से कम न हो) को नियुक्त किया जाएगा।

**ट. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति:**

शीर्ष समिति में प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी जाएगी। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी।

**ठ. निधियन पैटर्न:**

केंद्र और राज्य के बीच निधियों का बंटवारा पूर्वोत्तर/ हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और अन्य सभी राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में होगा।

### ड. अनुदानों का प्रस्तावित रिलीज:

प्रशासनिक स्वीकृति और निष्पादन एवं मंत्रालय को अपेक्षित वास्तविक और वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को चरणबद्ध तरीके से, अनुदान जारी किया जाएगा।

### ढ. आवर्ती व्यय:

1. यह उचित है कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में प्रचालन एवं अनुरक्षण आरंभ करने के लिए 14वें वित्तीय आयोग की निधियों का उपयोग करेगा।
2. संबंधित राज्य सरकार का यह समग्र दायित्व है कि वह आवश्यक होने पर, उनको आबंटित 15% एनआरडीडब्ल्यूपी-ओएंडएम निधियों के अलावा आवर्ती व्यय का वहन करे।
3. यह ग्राम पंचायत का दायित्व है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) का स्वामित्व लेकर इसे आरंभ करें, जबकि जल शोधन संयंत्रों सहित सभी शीर्ष कार्यों का ओएंडएम दायित्व ग्रामीण जल आपूर्ति का काम देखने वाले राज्य विभाग/बोर्ड के पास होगा।

### ण. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) कार्यक्रमलाप:

1. आर्सेनिक एवं फ्लोराइड पर विस्तृत जागरूकता अभियान ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए।
2. स्कीम कार्यान्वयन इंजीनियरों को प्रौद्योगिकी/प्रशिक्षण/प्रविधि और क्रियाविधि समझाने के लिए विभिन्न उपलब्ध प्रतिष्ठ संस्थाओं में आवधिक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए।

इस कार्यक्रम के द्वारा राज्यों और सामुदायिक संगठनों को शामिल करते हुए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के साथ-साथ पोटेबिलिटी, पर्याप्तता, सुविधा, सामर्थ्य और समता के रूप में स्थाई आधार पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।